संख्या- 657/77-1-2026(1720557)

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

त्रिखेन्द्र गौतम
12/09/26
कुलसचिव

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 सितम्बर, 2026

विषयः- स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर अवशेष टैबलेट/स्मार्टफोन का शीघ्रताशीघ्र वितरण किये जाने एवं प्रस्तावित 25 लाख टैबलेट्स की आपूर्ति के सापेक्ष वितरण की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त किये जाने हेतु स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण किये जाने का निर्णय शासनादेश सं. 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 द्वारा लिया गया है जिसमें विभिन्न स्तरीय स्टेकहोल्डर्स के दायित्वों का निर्धारण किया गया है। उक्त के क्रम में नोडल एजेन्सी की प्रास्थिति में यूपीडेस्को द्वारा 25 लाख टैबलेट्स के क्रय हेतु जेम पोर्टल के माध्यम से आपूर्तिकर्ता संस्थाओं का चयन कर उनको कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

R-090

2- उक्तानुसार आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा शीघ्र ही जनपदों में टैबलेट की आपूर्ति प्रारम्भ की जायेगी। डिजीशक्ति पोर्टल पर दिनांक 05.09.2026 तक उपलब्ध विवरण के अनुसार पूर्व में आपूर्तित कुल 22,80,000 टैबलेट पीसी तथा 37,25,000 स्मार्टफोन में से कुल 11,960 टैबलेट पीसी तथा 5,488 स्मार्टफोन वितरण हेतु अभी भी जनपदों में उपलब्ध हैं (सूची संलग्न), जिनकी अद्यतन स्थिति जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के लॉगिन से ज्ञात की जा सकती है।

3- इस संबंध में पूर्व में यूपीडेस्को एवं अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा भी लंबित वितरण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया गया है। साथ ही शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1036/77-1-2022 दिनांक 27.07.2022 के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व सौंपा गया है। अतः जनपद में उपलब्ध समस्त लंबित टैबलेट पीसी एवं स्मार्टफोन का वितरण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूर्ण कराते हुए पूर्व की समस्त वितरण संबंधी पेंडेंसी को शून्य किया जाना

सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4- योजनान्तर्गत शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश दिनांक 18.07.2022 में जनपद एवं संस्थान के निर्धारित किये गये दायित्वों के आधार पर आपूर्ति किए जाने वाले टैबलेट के रख-रखाव तथा वितरण हेतु जनपद / संस्थान स्तर से निम्नानुसार कार्यवाहियां की जानी अपेक्षित है:-

क) जनपद स्तरीय कार्यवाहियां :-

(1) उपकरणों के वितरण से सम्बन्धित स्थल एवं चरणों का निर्धारण जिलाधिकारी स्वस्तर से कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्तर से चयनित स्थानों का विवरण नोडल अधिकारी द्वारा डिजीशक्ति पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्थानुसार अपलोड किया जाना होगा जहां चयनित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं द्वारा सीधे उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी।

(2) नोडल एजेन्सी तथा आपूर्तिकर्ता संस्था के समन्वय से आपूर्ति प्राप्त कर चिन्हित आपूर्ति स्थलों में सुरक्षित रखी जाए।

(3) चिन्हित आपूर्ति स्थलों में रखे जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा के मानकों यथा जीव-जन्तुओं से बचाव, पानी व सीलन से बचाव, सीसीटीवी, सुरक्षा गार्ड आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(4) सम्बन्धित जनपद के नोडल अधिकारी, आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा प्रस्तुत डिलीवरी चालान पर अपने पूर्ण नाम एवं पदनाम की मोहर सहित हस्ताक्षर करते हुए उसे तत्काल डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य नोडल अधिकारी द्वारा स्वयं सम्पन्न किया जाएगा। किसी भी दशा में यह कार्य किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनिधानित नहीं किया जाएगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा योजना में नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में पोस्ट डिस्पैच इन्स्पेक्शन हेतु जनपद स्तर पर आई.टी.आई., एन.आई.सी., अन्य तकनीकी विशेषज्ञ जैसाकि जिलाधिकारी उचित समझें, एक समिति का गठन किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा जनपद में आपूर्तित उपकरणों की प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर संलग्न प्रारूप-1 के अनुसार पोस्ट डिस्पैच इन्स्पेक्शन सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता संस्था के समक्ष करते हुए जनपद स्तरीय समिति से अनुमोदनोपरान्त पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(6) जनपद में किस क्रम में टैबलेट्स का वितरण होना है, की रूपरेखा बनाते हुए वितरण में यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित संस्थान में सभी पात्र लाभार्थियों को टैबलेट्स का वितरण सुगमतापूर्वक एवं पारदर्शिता के साथ, एक साथ हो।

(7) सम्बन्धित संस्थानों द्वारा जनपद को अग्रसारित डाटा में से जनपद के नोडल अधिकारी द्वारा लाभार्थियों का चयन कर उनके लिए उपकरणों को लॉक किया जाये।

(8) भण्डारण स्थल से वितरण स्थल तक उपकरणों को पहुंचाने हेतु पर्याप्त संख्या में

वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

(9) वितरण की व्यवस्था सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा जिलाधिकारी की देख-रेख में की जाये व इस पर आने वाला व्यय सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा वहन किया जायेगा।

(10) संस्थानों में टैबलेटे का वितरण मा. प्रभारी मंत्री/मा. सांसद/मा. विधायक की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जायेगा।

(11) योजनान्तर्गत वितरित किए जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था, भण्डारण एवं परिवहन आदि पर होने वाला व्यय अधिकतम रू. 3.00 लाख तक अनुमन्य होगा तथा उक्त धनराशि प्रत्येक जनपद को नोडल एजेन्सी यूपीडेस्को द्वारा जिलाधिकारी के निर्दिष्ट खाते में प्रेषित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त होने वाले व्यय के सापेक्ष भुगतान जिलाधिकारी की मांग के अनुसार नोडल विभाग के अनुमोदनोपरान्त नोडल एजेन्सी (यूपीडेस्को) द्वारा किया जायेगा। उक्त भुगतान का जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, जनपद स्तर के नोडल अधिकारी स्वयं डिजीशक्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से अपलोड करेंगे।

(12) यदि किन्हीं परिस्थितियों में टैबलेट्स अवशेष रह जाते हैं तो नोडल एजेन्सी को अवगत कराया जाए तथा अग्रेतर निर्देशों तक उन्हें अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जाए।

(13) वितरण प्रक्रियान्तर्गत टैबलेट्स के चोरी होने अथवा खोने की स्थिति में उत्तरदायी का चिन्हांकन किया जाएगा तथा प्रति उपकरण दर से कुल आंगणित दर के अनुसार धनराशि की भरपाई संबंधित उत्तरदायी के माध्यम से नोडल एजेंसी को कराई जाएगी। इस हेतु डिजीशक्ति पोर्टल पर व्यवस्था पूर्व से उपलब्ध है।

(14) डिजीशक्ति पोर्टल पर उपलब्ध संस्थानवार सूचनाओं (उपलब्ध डिवाइसेज़, डिवाइस मैपिंग एवं छात्रों की वितरण संबंधी फोटो अपलोड आदि) के आधार पर योजना का नियमित अन्तराल पर अपने स्तर से अनुश्रवण कर जनपद स्तर पर सफल संचालन कराया जाये।

(15) योजनान्तर्गत वितरित उपकरणों से सम्बन्धित अभिलेखों की एक प्रति शिक्षण संस्थानों के स्तर पर तथा जनपद स्तर पर संरक्षित रखते हुए उसकी प्रमाणित प्रति नोडल एजेन्सी यूपीडेस्को को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(16) जिलाधिकारी द्वारा अपनी अनुश्रवण बैठकों में यह सुनिश्चित किया जाये कि जनपदों को उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था, भण्डारण एवं परिवहन आदि पर होने वाले व्यय हेतु निर्गत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिये गये हैं।

(17) उक्त समस्त कार्यवाहियां जनपद स्तर पर यथा वांछित जिलाधिकारी, नोडल अधिकारी, डीआईओएस, जीएमडीआईसी, ईडीएम आदि के स्तर से सम्पन्न की जायेंगी।

ख) संस्थान स्तरीय कार्यवाहियां:-

(1) योजना के क्रियान्वयन हेतु संस्थान स्तर पर समिति का गठन एवं नोडल अधिकारी की तैनाती की जाये।

(2) संस्थान में अध्ययनरत सभी छात्रों का डाटा डिजिशक्ति पोर्टल पर ससमय अपलोड कर वेरफाइ किया जाए।

(3) पोर्टल पर विभाग द्वारा लॉक किए गए डाटा के सापेक्ष छात्रों का ससमय आधार प्रमाणीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(4) जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी के समन्वय से आपूर्ति प्राप्त कर टैबलेट के समुचित संरक्षण/भण्डारण तथा वितरण की व्यवस्था करायी जाये।

(5) वितरण से सम्बन्धित कार्यक्रम आयोजित कराने एवं वितरण कराये जाने का समस्त दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा। इस हेतु पृथक से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(6) डिवाइस मैपिंग :- संस्थान स्तर पर उपकरणों के वितरण से पूर्व वितरण सम्बन्धित सूचना को डिजीशक्ति पोर्टल पर सुरक्षित करने हेतु मोबाइल एप के माध्यम से उपकरणों के आई.एम.ई.आई. कोड को छात्र-छात्राओं के डाटा के साथ मैप कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) मैपिंग के उपरान्त पोर्टल के माध्यम से रिसीविंग स्लिप (संलग्न प्रारूप-2 के अनुसार) प्रिन्ट की जा सकती है जिसका उपयोग संस्थान द्वारा वितरण के लिए किया जा सकेगा। प्राप्त रिसीविंग स्लिप पर सम्बन्धित लाभार्थियों के पूर्ण हस्ताक्षर प्राप्त करते हुए उनके मध्य उपकरणों का वितरण किया जाये।

(8) डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग/फोटो अपलोड:- योजनान्तर्गत वितरित किए जाने वाले उपकरण संबंधित लाभार्थियों को ही उपलब्ध कराए जाने की सुनिश्चितता हेतु वितरण के समय लाभार्थियों की उपकरण प्राप्त करते हुए एक फोटो डिजिशक्ति मैपर ऐप के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड की जाए। उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही वितरण की प्रक्रिया पोर्टल पर सम्पन्न होगी। अन्यथा नोडल अधिकारी के स्तर पर उपकरण वितरण लंबित प्रदर्शित होता रहेगा तथा नोडल अधिकारी को ही उत्तरदायी माना जायेगा।

(9) प्रत्येक वितरण कार्यक्रम की तिथिवार स्पष्ट 4 फोटो एवं 2 मिनट की वीडियो क्लिप भी वितरण के 24 घंटे के अन्दर आवश्यक रूप से डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाए।

(10) लाभार्थियों को उपकरण प्राप्ति से सम्बन्धित प्रारूप-2 के अनुसार हस्ताक्षरित रिसीविंग स्लिप सम्बन्धित संस्थान के नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक सहित प्रतिहस्ताक्षरित (पदनाम व मोहर सहित) करते हुए डिजीशक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाये।

(11) सम्बन्धित संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके यहां अध्ययनरत किसी भी छात्र-छात्रा का नाम पोर्टल पर एक से अधिक स्थान पर न हो। यदि किन्हीं कारणवश किसी का नाम एक से अधिक स्थान पर है तो संस्थान द्वारा इसका सुधार करना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही संस्थानों के माध्यम से छात्र-छात्राओं को यह अवगत कराया जायेगा कि यदि उनके द्वारा उस संस्थान अथवा किसी अन्य संस्थान के माध्यम से योजनान्तर्गत टैबलेट दोबारा प्राप्त किया जाएगा तो यह संज्ञेय अपराध माना जायेगा।

(12) समग्र वितरण उपरान्त अवशेष उपकरणों को, पोर्टल पर दी गयी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए, वापस जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी को सुरक्षित उपलब्ध कराया जाये।

(13) वितरण से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेखों का रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।

(14) जिलाधिकारी/शासन को यथावश्यक वांछित सहयोग प्रदान किया जाये।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजनान्तर्गत पूर्व में आपूर्तित उपकरणों में से आपके जनपद में उपलब्ध अवशेष उपकरणों का वितरण प्रत्येक दशा में 2 सप्ताह में पूर्ण कराते हुए वर्तमान में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली आपूर्ति हेतु उपरोक्तानुसार वितरण सम्बन्धी कार्यवाहियां सुनियोजित ढंग से सम्पन्न की जाएं ताकि भविष्य में योजना का क्रियान्वयन सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

भवदीय

Digitally signed by
ALOK KUMAR
Date: 11-09-2026 18:37:54

(आलोक कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग/व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास मिशन; चिकित्सा शिक्षा विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग; पशुधन विभाग, कृषि विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग; आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; संस्कृति विभाग; दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग; बेसिक शिक्षा विभाग) उ०प्र० शासन एवं सचिव, स्टेट मेडिकल फैकल्टी, उ0प्र0, माल एवेन्यु लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ शिक्षण संस्थानों को यथोचित माध्यम से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 शासन।

3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, विकास नगर, कानपुर।
6. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0प्र0, गुरु गोविन्द सिंह मार्ग, लखनऊ।
7. मिशन निदेशक, कौशल विकास मिशन, उ0प्र0 लखनऊ।
8. सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल एण्ड एलाईड फैकल्टी, 5, सर्वपल्ली मार्ग, माल एवेन्यु, लखनऊ।
9. उच्च शिक्षा के अधीन समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक।
10. उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों के अधीन समस्त महाविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक।
11. तकनीकी शिक्षा के अधीन बोर्ड एवं समस्त विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशक।
12. तकनीकी शिक्षा के विश्वविद्यालयों के अधीन समस्त इंजीनियरिंग कॉलेज, उ0प्र0 द्वारा प्राविधिक शिक्षा निदेशक।
13. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के अधीन समस्त विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय।
14. प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राम बृज राम)
अनु सचिव।

पत्रांक 657 ... 2026

updesco

पत्रांक संख्या - [illegible]
दिनांक - [illegible]

सेवा में

अपर मुख्य सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

विषय - **स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजनान्तर्गत जनपद तथा संस्थान स्तर पर टैबलेट्स के वितरण हेतु प्रक्रिया निर्धारण के सम्बन्ध में।**

महोदय

आप अवगत ही है कि शासनादेश संख्या 975/77-1-2022-156/2021 दिनांक 18.07.2022 के अनुपालन में प्रदेश में स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना लागू की गयी है जिसके क्रम में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से यूपीडेस्को नोडल संस्था के रूप में कार्यरत है।

2 अवगत कराना है कि डिजीलॉकिट पोर्टल पर दिनांक 05.09.2026 तक की उपलब्ध सूचना अनुसार योजनान्तर्गत पूर्व में आपूर्तित कुल 22,80,000 टैबलेट पीसी तथा 37,25,000 स्मार्टफोन में से कुल 11,954 टैबलेट पीसी तथा 5,485 स्मार्टफोन वितरण हेतु अभी भी कतिपय जनपदों में उपलब्ध हैं (**सूची संलग्नक-1एवं 2**)। यूपीडेस्को एवं शासन स्तर से समय-समय पर जिलाधिकारियों से वितरण की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करने का अनुरोध किया गया है।

3 यह भी अवगत कराना है कि योजनान्तर्गत 25 लाख टैबलेट्स की क्रय प्रक्रिया यूपीडेस्को द्वारा पूर्ण कर चयनित आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है जिसके क्रम में उनके द्वारा जनपदों में उपकरणों की आपूर्ति शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जाना सम्भावित है। जनपद स्तर पर नयी आपूर्ति प्रारम्भ होने से पूर्व वितरण हेतु अवशेष उपकरणों के साथ आगामी वर्ष के वितरण हेतु विस्तृत प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में शासन स्तर से जनपदों हेतु एक शासनादेश निर्गत कराया जाना प्रस्तावित है। निर्गत कराये जाने वाले पत्र का प्रारूप (**संलग्नक-3**) इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार संलग्न पत्र के प्रारूप में यथावश्यक भाषा एवं अवगत संशोधन/परिमार्जन कराते हुये इसे शासन स्तर से निर्गत कराने हेतु विचार करने की कृपा करें।

भवदीय,

Digitally signed by SAMEER VERMA
Date: 07.09.2026 11:57:45

(समीर)
प्रबन्ध निदेशक

संलग्नक- यथोक्त।

07.09.26

CIN : U51109 UP 1977 SGC 004392

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड

(उ. प्र. सरकार का उपक्रम)

अपट्रान बिल्डिंग, द्वितीय तल, निकट गोमती बैराज, गोमती नगर, लखनऊ - 226010

दूरभाष : 0522-2307803

Email - md@updesco.com | Website www.upite.gov.in/UPDESCO

Pendency of Smartphones as on 05.09.2026		
Sr.No.	District	Pending Smartphones Count
1	JAUNPUR	1173
2	FARRUKHABAD	859
3	KANPUR NAGAR	780
4	LUCKNOW	664
5	GAUTAM BUDHA NAGAR	439
6	JHANSI	220
7	BULANDSHAHR	148
8	GHAZIPUR	142
9	HAPUR	119
10	KUSHINAGAR	101
11	SHAHJAHANPUR	99
12	BAGHPAT	86
13	FATEHPUR	67
14	KANPUR DEHAT	55
15	PRAYAGRAJ	52
16	VARANASI	44
17	MEERUT	42
18	AGRA	40
19	GONDA	35
20	MAU	35
21	SANT KABIR NAGAR	31
22	SULTANPUR	31
23	BANDA	30
24	BALLIA	24
25	RAEBARELI	23
26	DEORIA	21
27	SITAPUR	21
28	BIJNOR	18
29	MATHURA	16
30	ETAWAH	15
31	AMETHI	14
32	BAREILLY	11
33	KAUSHAMBI	11
34	AMBEDKAR NAGAR	7
35	PILIBHIT	5
36	MAINPURI	3
37	SIDDHARTHNAGAR	2
38	AYODHYA	1
39	BHADOHI	1
Total		5485

Pendency of Tablets as on 05.09.2026

Sr.No.	District	Pending Tablets Count
1	JAUNPUR	3648
2	LUCKNOW	1503
3	KANPUR NAGAR	1471
4	PRAYAGRAJ	777
5	GHAZIPUR	698
6	JHANSI	643
7	AMETHI	490
8	DEORIA	431
9	GAUTAM BUDHA NAGAR	378
10	AGRA	313
11	MEERUT	282
12	BAGHPAT	175
13	KUSHINAGAR	155
14	BULANDSHAHR	151
15	KANPUR DEHAT	112
16	MAU	103
17	BIJNOR	97
18	ETAWAH	72
19	HAPUR	65
20	BALLIA	31
21	BANDA	31
22	AMBEDKAR NAGAR	29
23	FARRUKHABAD	27
24	RAEBARELI	23
25	AZAMGARH	22
26	FATEHPUR	22
27	BAREILLY	21
28	PILIBHIT	21
29	AMROHA	19
30	ETAWAH	17
31	PRATAPGARH	17
32	VARANASI	17
33	BALRAMPUR	15
34	AYODHYA	11
35	SULTANPUR	9
36	BUDAUN	8
37	SANT KABIR NAGAR	7
38	UNNAO	7
39	BHADOHI	6
40	KAUSHAMBI	6
41	MATHURA	6
42	MAINPURI	5
43	KASGANJ	4
44	BASTI	3
45	HATHRAS	2
46	SHAHJAHANPUR	2
47	SIDDHARTHNAGAR	2
	Total	11954

प्रारूप-1

Post-Dispatch Inspection Checklist

S. No.	Testing Task	Status (Pass [✓] / Fail [✗])
1	Physical Tests:	----
	A. SIM Tray/Memory Card Tray	
	B. Screen	
	C. Body of Device	
	D. Charging Port	
	E. Any Other Available Port	
2	Turn on the device	
3	Touch any App icon, App should open	
4	Insert SIM Card	
5	Insert Memory Card	
6	Make a Call	----
	A. Check for Mic on Call	
	B. Check Earpiece Speaker on Call	
7	Connect a Bluetooth device	
8	Play a ring tone sound	
9	Increase/Decrease Volume from Volume Buttons, Audio pitch shall increase/decrease accordingly	
10	Connect Charger. Device should show charging	
11	Connect Wi-Fi	
12	Open Browser and open any website	
13	Camera	----
	A. Front Camera	
	B. Back Camera	
14	Turn Off device	
15	Connect Charger when device is off, check battery is charging	

Comment/Observation:

For GoUP:	**For Supplier:**
Sign:	**Sign:**
Name:	**Name:**
Designation:	**Designation:**
Date:	**Date:**

Uttar Pradesh Development Systems Corporation Ltd.

Tablet and Smartphone distribution scheme 2021-22 for the Digital Empowerment of Youth studying in Uttar Pradesh in session 2021-22.

Digi

Student Receipt

Department
UPSC

Program ID
Date of Program

Institution

Address of Program with District

S.No.	Enrollment No.	Student Name	Father Name	Date of Birth	Course	Year/Semester	Subject	Device Type	IMEI No.	Student Signature

Students Declaration

Name Of Nodal

Signature

Receiving Slip

(To be generated and downloaded from Portal))

प्रारूप-2